जिला कलक्टर

13/3/2019

उभय पक्ष अभिभाषक उपस्थित। उपस्थित वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी मसूदा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके निस्तारण तक उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में कार्यवाही स्थगित किये जाने के अनुतोष बाबत प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी मसूदा का अन्यंत्र स्थानान्तरण हो जाने से अब कोई अनुतोष वांछित नहीं होने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा व्यक्त कथनों के तहत प्रार्थना पत्र बाबत अब कोई अनुतोष प्रार्थी नहीं चाहते है। लिहाजा प्रार्थना पत्र, प्रार्थी इसी स्तर पर इसी कदर से, सारहीन हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner